एम.ए.सी.पी. संख्या ३५२/२०१७

१. केदार तनय भागीराम उम्र ५० वर्ष
२. भारत पुत्र केदार आयु लगभग १७ वर्ष
३. कु. विनीता पुत्री केदार उम्र ८ वर्ष
जरिये संरक्षक पिता केदार निवासीगण ग्राम रमपुरा थाना रमपुरा जिला जालौन उ.प्र.

----------याचीगण

प्रति

१. ऋषि राज सिंह पुत्र वेताल सिंह निवासी न्यू आर्दश नगर पिन्ट पार्क ग्वालियर म.प्र.
.....मालिक होण्डाई कार सं. एम.पी. ०७सी.ई.१८२५
२. हरवीर सिंह तनय कोक सिंह निवासी विरला नगर ग्वालियर म.प्र.
.....चालक होण्डाई कार सं. एम.पी. ०७ सी.ई.१८२५
३. द न्यू इंडिया इश्योरेन्स क०लि० जरिये शाखा प्रबंधक कचहरी चौराहा झाँसी
.....बीमाकर्ता होण्डाई कार सं० म.पी. ७ सी.ई. १८२५

---------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण के पति व पिता की मोटर दुर्घटना मे मृत्यु पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २०बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। १९बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। २०बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,५०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २०बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २०बी में दर्शित कुल ₹ ५,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २०बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,५०,००० (पाँच लाख पचास हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov. in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतक के क्रमशः पिता, भाई व बहन हैं तथा याचिया सं. ३ वर्तमान में अवयस्क है। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ केदार उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ४० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे तथा याची सं. २ भारत व याची सं. ३ कु. विनीता क्रमशः ३० व ३० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. ३ कु. विनीता को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की उक्त धनराशि उसके नाम जरिये संरक्षक पिता केदार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिए जमा की जायेंगी, जिसकी समस्त धनराशि वह वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगी। याची सं. १ व २ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग वे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी बनायी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:54:06 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal
Jhansi